

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260623  
SG-DL-E-31012025-260623असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2025/माघ 9, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 369
No. 33]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2025/MAGHA 9, 1946	[N. C. T. D. No. 369

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIविधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

फा. सं. 1/51/2024—न्यायिक/अधी0 विधि/100—105.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70/डीएच (एस), दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70—डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित के साथ पठित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद् द्वारा दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शोषक एवं प्रारंभ—
  - इन नियमों को दिल्ली न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।
  - इन्हें 01 जुलाई 2024 से लागू माना जाएगा।

2. डीजेएस नियमावली, 1970 के नियम 3(घ) में संशोधन –	दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में विद्यमान नियम 3(घ) के स्थान पर निम्नलिखित नियम 3(घ) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
--	---

**नियम 3(घ)**— सेवा में नियुक्त व्यक्ति को वर्तमान में उसके द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों के अनुसार सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)—सह—प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदनामित किया जाएगा।

3. डीजेएस नियमावली, 1970 के साथ संलग्न अनुसूची में संशोधन –	दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में, विद्यमान अनुसूची (नियम 4 के अंतर्गत) के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची (नियम 4 के अंतर्गत) को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
---	---

**अनुसूची  
(नियम 4 के अंतर्गत)**

1	सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) (संवर्ग संख्या बल का 25 प्रतिशत)	
	इसमें शामिल होंगे –	
	(i) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश—सह—किराया नियंत्रक	11
	(ii) अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश—सह—न्यायाधीश लघु वाद न्यायालय—सह—संरक्षक न्यायाधीश	11
	(iii) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	12
	(iv) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	15
	(v) अपर किराया नियंत्रक	11
	(vi) प्रशासनिक सिविल न्यायाधीश	11
	(vii) या कोई अन्य अधिकारी जिसे सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में नामित किया जा सकता है	50
	<b>उप-योग</b>	<b>121</b>
2	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग) इसमें प्रथम श्रेणी के सिविल न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट शामिल होंगे।	361
	<b>कुल</b>	<b>482</b>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

**DEPARTMENT OF LAW JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 29th January, 2025

**F. No. 1/51/2024-Judl./Suptlaw/100-105.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs's Notification No.F.1/2/70/DH(S), dated the 29<sup>th</sup> May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S), dated the 25<sup>th</sup> July, 1970 and all other powers

enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi, hereby makes the following rules to further amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970:-

**1. Short title and commencement -** (1) These rules may be called the Delhi Judicial Service (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 01<sup>st</sup> July, 2024.

**2. Amendment to Rule 3(d) of DJS Rules, 1970 -** In the Delhi Judicial Service Rules 1970, in place of existing Rule 3(d), the following Rule 3(d) shall be substituted, namely:-

**Rule 3(d) -** A person appointed to the Service shall be designated as Civil Judge (Junior Division) or Judicial Magistrate of the First Class or as Civil Judge (Junior Division)-cum-Judicial Magistrate of the First Class in accordance with the duties being discharged by him for the time being.

**3. Amendment to schedule appended to DJS Rules, 1970 -** In the Delhi Judicial Service Rules 1970, in place of existing Schedule (under rule 4), the following Schedule (under rule 4) shall be substituted, namely:-

SCHEDULE  
(Under rule 4)

1	Civil Judges (Senior Division) (25% of cadre strength)	
	This will include -	
	(i) Senior Civil Judge-cum-Rent Controllers	11
	(ii) Additional Senior Civil Judges-cum-Judges Small Cause Courts-cum-Guardian Judges	11
	(iii) Chief Judicial Magistrates	12
	(iv) Additional Chief Judicial Magistrates	15
	(v) Additional Rent Controllers	11
	(vi) Administrative Civil Judges	11
	(vii) or any other officer who may be designated as Civil Judge (Senior Division)	50
	Sub Total	121
2	Civil Judges (Junior Division) This will include Civil Judges/Judicial Magistrates of the First Class.	361
	Total	482

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

REETESH SINGH, Principal Secy.